कागजों से सिस्टम तक पहुंची सेंध, बन गए 100 से ज्यादा फर्जी पासपोर्ट

बांग्लादेशी नागरिकों के फर्जी पासपोर्ट मामले में नगर निगम से लेकर पुलिस और पासपोर्ट विभाग के कर्मचारी जांच के घेरे में आए

विशेष प्रतिनिधि

भोपाल, 16 सितंबर. बांग्लादेशी नागरिकों के फर्जी पासपोर्ट मामले में अब जांच सिर्फ गिरोह और उसके सदस्यों तक सीमित नहीं है. जांच के दायरे में वे सभी विभाग और कर्मचारी हैं, जिनकी भूमिका दस्तावेजों की जांच, प्रमाणिकता और सत्यापन से जुड़ी रही है.

प्रारंभिक जांच में सरकारी विभागों की लापरवाही के चलते फर्जी दस्तावेज, फर्जी पासपोर्ट बनने की पुष्टि हुई है. हालांकि, कर्मचारियों की मिलीभगत के एंगल से भी जांच की जा रही है. इसकी वजह यह कि मॉस्टरमाइंड रियाल चौधरी ने पूछताछ में कुछ कर्मचारियों को पैसा देने की बात कबूली है. जांच में सामने आया कि रियाल चौधरी और उसके साथियों ने पहचान छिपाने के लिए एक के बाद एक दस्तावेजों की कड़ी तैयार की. पहले दूसरे राज्य में पहचान बनाई गई, फिर मध्यप्रदेश में नई पहचान के आधार पर स्थानीय दस्तावेज तैयार कराए गए और उन्हीं दस्तावेजों के सहारे पासपोर्ट हासिल किए गए.

एसटीएफ के मुताबिक,

बांग्लादेश से भारत आने के बाद आरोपी कुछ समय असम में रहे. वहां पहचान से जुड़े दस्तावेज तैयार कराने के बाद बैतूल और अन्य इलाकों में पहुंचे. यहां नई पहचान के आधार पर स्थानीय दस्तावेज बनवाए गए. पासपोर्ट सत्यापन के दौरान खुद को असम या भारत के अन्य हिस्सों का निवासी बताकर दस्तावेज पेश किए गए. भोपाल और ग्वालियर में सामने आए करीब 100 संदिग्ध फर्जी पासपोर्ट मामलों में जांच एजेंसी को इसी तरह का पैटर्न मिलने की बात सामने आई है.

कोविड काल में बने पासपोर्ट : जांच में यह भी सामने आया है कि करीब 70 फर्जी पासपोर्ट में से 40 से अधिक पासपोर्ट भोपाल के अशोक बौद्ध विहार के पते से जुड़े हैं. एसटीएफ के अनुसार, अधिकांश पासपोर्ट कोविड काल में जारी हुए, जब सत्यापन प्रक्रिया और आवाजाही पर कई तरह के प्रतिबंध थे. अब यह भी जांच का हिस्सा है कि क्या आरोपियों ने उस समय की परिस्थितियों का फायदा उठाया. आरोपियों के मोबाइल फोन से कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया और चीन समेत कई देशों की यात्राओं की जानकारी भी मिली है. हालांकि एसटीएफ के अनुसार अब तक जांच में किसी आतंकी कनेक्शन के प्रमाण नहीं मिले हैं.

इनका कहना है

सत्यापन, दस्तावेज बनाने वाले कर्मचारियों की जो भी भूमिका निकलकर आएगी उसी अनुसार आगे की कार्रवाही की जाएगी. लापरवाही के साथ मिलीभगत के एंगल से भी जांच की जा रही है.

राजेश सिंह भदौरिया,
एसपी, एसटीएफ

लापरवाही-मिलीभगत से फाइल ऐसे पहुंची मंजिल तक

1. **नगर निकाय/जन्म-मृत्यु पंजीयन विभाग**
जिम्मेदारी: जन्म प्रमाण पत्र जारी करने से पहले जन्म से संबंधित जानकारी और उपलब्ध रिकॉर्ड का सत्यापन.
लापरवाही. पंजीयन स्तर पर जांच नहीं हुई. जन्म का रिकॉर्ड और व्यक्ति की वास्तविक पहचान मान ली गई.

2. **राजस्व विभाग**
जिम्मेदारी: निवास, स्थानीय पता और संबंधित राजस्व रिकॉर्ड से जुड़े प्रमाणों का सत्यापन.
लापरवाही: निवास का सत्यापन करने नहीं गई. ऑफिस में बैठे-बैठे जारी कर दिया.

3. **आधार से जुड़ी व्यवस्था**
जिम्मेदारी: पहचान और पते से संबंधित जानकारी को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दर्ज और सत्यापित करना.
लापरवाही: नगर निकाय, राजस्व विभाग से जारी फर्जी दस्तावेजों को नहीं पकड़ पाया.

4. **निर्वाचन विभाग**
जिम्मेदारी: मतदाता के रूप में पंजीयन से पहले पात्रता और संबंधित विवरण की जांच.
लापरवाही: पंजीयन के दौरान नागरिकता और पते से जुड़े दस्तावेजों का सत्यापन नहीं किया.

5. **स्थानीय पुलिस थाना**
जिम्मेदारी: पासपोर्ट आवेदन में दिए गए पते और आवेदक की पहचान, क्राइम हिस्ट्री का सत्यापन.
लापरवाही: आवेदक के पते पर गए ही नहीं. दस्तावेज देख सत्यापन कर दिया.

6. **पुलिस अधीक्षक कार्यालय**
जिम्मेदारी: पुलिस सत्यापन की निगरानी और संबंधित रिपोर्ट को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ाना.
लापरवाही: एक ही पते से बड़ी संख्या में आवेदन होने के बावजूद वरिष्ठ स्तर पर कोई संदेह या अतिरिक्त जांच नहीं हुई.

7. **क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय**
जिम्मेदारी: पासपोर्ट आवेदन के दौरान दस्तावेजों, पहचान और अन्य विवरणों की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जांच.
लापरवाही: फर्जी दस्तावेज और संदिग्ध पते पुलिस सत्यापन को ही मानकर पासपोर्ट जारी कर दिया.

स्वामित्व के अधिकार मिलेंगे

सीएम ने इंदौर और उज्जैन के कमिश्नर, कलेक्टर्स के साथ वीसी कर तैयारियों का फीडबैक

एक माह चलेगा अभियान
मध्यप्रदेश में सेवा संकल्प अभियान का आगाज आज

सीएम के निर्देश, व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं रहे

इधर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को उज्जैन और इंदौर संभाग के जनप्रतिनिधियों के साथ ही कमिश्नर्स और कलेक्टर्स से वीसी के माध्यम से रूबरू हुए और तैयारियों की फीडबैक लिया. इस दौरान सीएम ने कहा कि 17 सितंबर को इंदौर और उज्जैन में 2 बड़े आयोजन होने हैं. दोनों ही कार्यक्रमों की सभी तैयारियां बारीकी से माइक्रो प्लानिंग के साथ कर ली जाएं. व्यवस्थाओं में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहे. इंदौर और उज्जैन के कमिश्नर्स एवं कलेक्टर्स ने तैयारियों की जानकारी दी.

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 16 सितंबर. मप्र में सेवा संकल्प अभियान के लिए बड़े स्तर पर तैयारियां की गई है. गुरुवार 17 सितंबर से इस अभियान का प्रदेश में शुभारंभ होगा. इस अभियान का श्रीगणेश भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन करेंगे. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ये उनका पहला मप्र दौरा है. इस अभियान के तहत गुरुवार को ही स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन योजना-2026 का प्रदेशव्यापी शुभारंभ होगा. राज्य स्तरीय कार्यक्रम आईडीए. ग्राउंड, गांधी नगर, इंदौर में आयोजित होगा. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के अलावा नितिन नबीन विशेष रूप से मौजूद रहेंगे.

योजना के तहत लगभग 50 लाख निजी संपत्तियों के अधिकार अभिलेखों की फ्री में रजिस्ट्री होगी, जिस पर सरकार लगभग 4 हजार करोड़ रुपए खर्च करेगी. इस योजना के हितग्राही के घरों के साथ ही प्रदेश के कई स्थानों को दीपक की रोशनी से जगमग करने की भी बड़ी तैयारी की गई है. सरकार से लेकर भाजपा संगठन स्तर तक इसकी तैयारी की गई है. दीपक जलाने का सबसे बड़ा कार्यक्रम बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में होगा, शाम को महाकाल परिसर से लेकर क्षिप्रा के तट तक 25 लाख दीपक की रोशनी से दमकेंगे. इस कार्यक्रम में भी सीएम और नितिन नबीन रहेंगे. दीपक प्रज्वलन के लिए नगर निगम, नगर पालिका , नगर परिषद से लेकर पंचायत तक के लिए टारगेट तय कर दिया गया है. यानी प्रदेश में दीपावली से पहले ही गुरुवार शाम और रात को दीपावली जैसा माहौल रहेगा. एक माह तक 12 अलग- अलग कार्यक्रम होंगे.

एक माह में रजिस्ट्री कराने का टारगेट: प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाने के लिए ग्राम एवं पंचायत स्तर पर विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे. प्रदेश में पंचायतवार ये शिविर तीन चरणों में आयोजित होंगे।.प्रथम चरण 17 से 19 सितंबर, द्वितीय चरण 24 से 26 सितंबर और तृतीय चरण 1 से 3 अक्टूबर तक होगा. शिविर की सूचना संबंधित जिलों द्वारा हितग्राहियों को दी जाएगी. योजना के क्रियान्वयन के लिए शासन द्वारा पटवारी को निष्पादन अधिकारी तथा तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, पीसीओ एवं एडीईओ को पंजीयन अधिकारी नियुक्त किया गया है. इससे पंजीयन प्रक्रिया स्थानीय स्तर पर ही पूरी की जा सकेगी. पंजीयन पूर्ण होने के बाद पंजीयन विलेख हितग्राही के मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा.

सीएम ने कहा, पीएम के जन्मदिन पर बड़ी सौगात

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की उपस्थिति में प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस पर प्रदेशवासियों के लिए यह एक बहुत बड़ी सौगात है. उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नबीन 17 सितम्बर को शाम 7 बजे उज्जैन में शिप्रा के तट पर आयोजित ऐतिहासिक दीपोत्सव और संध्या आरती में शामिल होंगे. प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2022 में उज्जैन में श्री महाकाल के महालोक का लोकार्पण किया, जो अब तीर्थाटन से अर्थव्यवस्था में आए बड़े बदलावों का एक उत्कृष्ट उदाहरण बन गया है.

41568 गांवों में निजी संपत्ति की रजिस्ट्री होगी

संपत्ति की रजिस्ट्री कराने की मुहिम के तहत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी भूमि में अधिकार अभिलेख तैयार किए गए हैं. अब तक 41,568 ग्रामों में कुल 68.47 लाख अधिकार अभिलेखों का निर्माण किया गया है. योजना के तहत हितग्राहियों की संपत्ति के आधार पर सुगमता से ऋण उपलब्ध कराने के लिए निर्मित निजी अधिकार अभिलेखों का पंजीयन किया जाएगा. पंजीयन के बाद नागरिक गृह निर्माण, व्यवसाय, कृषि एवं अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण प्राप्त कर सकेंगे.

नए राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर अटकलें

राज्यपाल से मिले सीएम

मामला हाईकोर्ट पहुंचा

पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर भी पद पर बने रहने का मामला विवादों में आया

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 16 सितंबर. मप्र में नए राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर चले रहे अटकलों के बीच बुधवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव लोकभवन पहुंचें और राज्यपाल मंगुभाई पटेल से मुलाकात की.

इधर मौजूदा राज्यपाल का कार्यकाल पूरा होने के बाद भी उनके पद पर बने रहने का मामला विवादों में आ गया है. इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. जिस पर फिलहाल फैसला सुरक्षित रखा गया है.

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बुधवार सबेरे राजभवन पहुंचे. यहां वे लगभग 20 मिनट तक रहे. बताया जा रहा है कि इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने राज्यपाल पटेल को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर प्रदेश में 17 सितम्बर से शुरू हो रहे एक माह की अवधि के सेवा संकल्प अभियान और स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन योजना-2026 के तहत प्रदेश के 50 लाख लोगों को उनके पट्टे की पक्की रजिस्ट्री कराकर संबंधितों को नि:शुल्क वितरण करने के लिए राज्य सरकार द्वारा की जा रही व्यापक तैयारियों की जानकारी दी.

जहरीली शराब से हुई मौतों का मामला हाईकोर्ट पहुंचा

नवभारत न्यूज

जबलपुर, 16 सितंबर. सागर जिले के बंडा और शाहगढ़ तहसील में जहरीली शराब से हुई मौतों का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है. इस मामले में दमोह निवासी सामाजिक कार्यकर्ता वैभव सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है.

इस घटना की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच कराने और प्रशासनिक व्यवस्था की जवाबदेही तय करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है. हाईकोर्ट ने इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए सुनवाई के लिए 22 सितम्बर की तारीख तय की है.

दमोह निवासी सामाजिक कार्यकर्ता वैभव सिंह की ओर से दायर याचिका में मध्य प्रदेश शासन, गृह विभाग के प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग के प्रमुख सचिव, पुलिस महानिदेशक, आबकारी आयुक्त, कलेक्टर सागर, पुलिस अधीक्षक सागर, जिला आबकारी अधिकारी सागर तथा थाना प्रभारी बंडा को अनावेदक बनाया गया है.

422 सितम्बर को होगी सुनवाई

सांवेर में मकान की दीवार गिराने से 4 की मौत

- **जर्जर भवन तोड़ते समय हुआ बड़ा हादसा**
- **मलबे में दबे लोगों को निकालने में जुटी टीम**

नवभारत न्यूज

इंदौर, 16 सितंबर. शहर के सांवेर क्षेत्र में बुधवार शाम बड़ा हादसा हो गया. टशन चौराहे के पास जर्जर मकान तोड़ने के दौरान पास स्थित दूसरे मकान की दीवार अचानक ढह गई. हादसे में तीन महिलाओं और एक नाबालिग सहित चार लोगों की मौत की सूचना है. सभी मृतक मजदूर परिवार से बताए जा रहे हैं.

वहीं कुछ अन्य लोगों के मलबे में दबे होने की जानकारी सामने आई है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, नगर परिषद और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची. जेसीबी की मदद से मलबा हटाकर दबे लोगों को बाहर निकालने का काम शुरू किया गया. घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया. हादसे के बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई.प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टशन चौराहे के पास स्थित एक जर्जर मकान का छज्जा करीब एक माह पहले गिर गया था.

पहले गिरा था छज्जा, नोटिस देने की बात सामने आई

स्थानीय लोगों के अनुसार जिस मकान को तोड़ा जा रहा था, उसका छज्जा करीब एक माह पहले गिर गया था. इसके बाद नगर परिषद को सूचना दी गई थी. लोगों ने आरोप लगाया कि जर्जर मकान को लेकर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई. मकान मालिक को मकान खाली करने का नोटिस दिए जाने की बात भी सामने आई है.

इनका कहना है

थाना प्रभारी लाखन सिंह राजपूत ने बताया कि जर्जर मकान तोड़ने के दौरान पास की पुरानी दीवार गिरने से हादसा हुआ. मामले की जांच कर घटना से जुड़े तथ्यों की जानकारी जुटाई जा रही है.

एक नजर में

अस्पताल में से रोकने पर भड़के मीडियाकर्मी

रीवा. जिले के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल प्रबंधन ने मीडिया कर्मियों को अंदर प्रवेश से रोक दिया और किसी तरह की वीडियो-फोटोग्राफी न करने का फरमान जारी कर दिया. दोपहर जब मीडियाकर्मी पहुंचे तो प्रवेश से रोक दिया गया, जिसके बाद सभी धरने पर बैठ गये. कलेक्टर नरेन्द्र सूर्यवंशी एवं एसपी गुरकरन सिंह मौके पर पहुंचे और समझाइश दी.

जस्टिस सिंह के रिटायरमेंट के बाद15 पद रिक्त

जबलपुर. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की प्रिंसिपल बेंच में पदस्थ जस्टिस अवनीन्द्र कुमार सिंह बुधवार को सेवानिवृत्त हो गए. हाईकोर्ट में दोपहर 3:30 बजे फुल कोर्ट फेयरवेल आयोजित किया गया. जस्टिस सिंह के रिटायरमेंट के बाद हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या घटकर 38 रह गई है, जबकि कुल 53 स्वीकृत पदों में अब 15 पद रिक्त हो गए हैं.

मंदिर के दान पात्रों से निकले 33.39 लाख रुपए

ओंकारेश्वर. श्री ओंकारेश्वर मंदिर ट्रस्ट के 11 दान पात्र मंगलवार को खोले गए. दान पात्रों से प्राप्त राशि और पुराने स्टॉक की गणना तहसीलदार, पटवारी, मंदिर के सहायक कार्यपालन अधिकारी, मंदिर कर्मचारियों और बैंक कर्मचारियों की मौजूदगी में की गई.गणना के दौरान दान पात्रों से कुल 33 लाख 39 हजार रुपए प्राप्त हुए.

31 लाख की ठगी का आरोपी खड़गपुर से गिरफ्तार

- **चार साल से फरार था जालसाज,**
- **छह स्थायी वारंट थे जारी; चाट खाते पुलिस ने दबोचा**

नवभारत न्यूज

ग्वालियर, 16 सितंबर. घर बनाकर देने का झांसा देकर 31 लाख रुपए से अधिक की रकम ऐंठने के मामले में चार साल से फरार आरोपी को महाराजपुरा थाना पुलिस ने पश्चिम बंगाल के खड़गपुर से गिरफ्तार किया है.

आरोपी के खिलाफ अमानत में खयानत का मामला दर्ज था और अलग-अलग अदालतों से छह स्थायी वारंट भी जारी हो चुके थे.

पुलिस के अनुसार शताब्दीपुरम निवासी रणविजय सिंह ने राजू राव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. वर्ष 2022 में 21 बाय 40 के प्लॉट पर मकान बनाकर देने का एग्रीमेंट हुआ था. इसके लिए आरोपी ने किस्तों में 31 लाख रुपए से ज्यादा की राशि ली थी. बाद में जमीन के एक हिस्से की रजिस्ट्री करने के बाद बाकी हिस्से की रजिस्ट्री को लेकर टालमटोल करता रहा.

अमृत ग्रुप के 17 ठिकानों पर ईडी की दबिश

- **इंदौर-कोलकाता में एक साथ हुई कार्रवाई**
- **निवेशकों से जुटाई रकम का मनी ट्रेल खंगाल रही एजेंसी**

नव भारत न्यूज

इंदौर, 16 सितंबर . अमृत ग्रुप ऑफ कंपनीज से जुड़े कथित निवेश धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को इंदौर और कोलकाता में एक साथ तलाशी कार्रवाई शुरू की.

दोनों शहरों में ग्रुप से जुड़े 17 आवासीय और व्यावसायिक ठिकानों पर टीमों ने दबिश दी. कार्रवाई ईडी के कोलकाता जोन की ओर से धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 17 के तहत की जा रही है.

जांच के दायरे में अमृत ग्रुप से जुड़े संचालकों और प्रमोटरों के ठिकाने शामिल हैं. एजेंसी के अधिकारी परिसरों में मौजूद दस्तावेज और वित्तीय रिकॉर्ड की जांच कर रहे हैं. तलाशी का मुख्य फोकस निवेशकों से जुटाई गई रकम और उसके आगे हुए लेन-देन का पता लगाने पर है.

सूत्रों के मुताबिक, ग्रुप से जुड़ी कंपनियों ने अलग-अलग डिपॉजिट स्कीमों के जरिए लोगों से रकम जुटाई थी. निवेशकों को जमा राशि पर अधिक रिटर्न देने का भरोसा दिया, लेकिन आरोप है कि तय अवधि के बाद वादा किया गया रिटर्न नहीं लौटाया. इसी आधार पर एजेंसी कथित निवेश धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग एंगल की पड़ताल कर रही है.

ईडी की टीम कंपनियों और संबंधित लोगों के रिकॉर्ड के जरिए रकम के प्रवाह और संभावित संपत्तियों से जुड़े वित्तीय लेन-देन की कड़ियां जोड़ने में जुटी है. दोनों शहरों में तलाशी कार्रवाई जारी है.

मध्यप्रदेश प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति का हुआ गठन

भोपाल. मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण अधिनियम में निहित प्रावधानों के तहत राज्य शासन ने मप्र प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति का गठन किया है. समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक रहेगा. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश अनुसार समिति में कुलपति जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर डॉ. राजकुमार आचार्य को अध्यक्ष बनाया गया है. समिति में सचिव/अतिरिक्त सचिव, विधि एवं विधायी कार्य,वित्त विभाग अथवा नामांकित अधिकारी एवं संचालक चिकित्सा शिक्षा सदस्य होंगे.

सिंगरौली में बिजली गिरने से सात झुलसे

- **आठ साल की बच्ची समेत दो नाबालिग घायल**
- **पुलिस ने सभी को देवसर अस्पताल पहुंचाया**

नवभारत न्यूज

सिंगरौली, 16 सितंबर. जियावन थाना क्षेत्र की कुंदवार चौकी अंतर्गत टिकट गांव में बुधवार को दसगात्र कार्यक्रम के दौरान अचानक आकाशीय बिजली गिरने से सात लोग झुलसकर घायल हो गए. घायलों में आठ साल की बच्ची समेत दो नाबालिग भी शामिल हैं. घटना के बाद कार्यक्रम स्थल पर अफरा-तफरी मच गई.

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को उपचार के लिए देवसर अस्पताल पहुंचाया.

जानकारी के अनुसार टिकट गांव में धजमन सिंह गौड़ के भाई का दसगात्र कार्यक्रम चल रहा था. इसी दौरान मौसम खराब होने के बीच अचानक आकाशीय बिजली गिर गई. इसकी चपेट में प्रमिला सिंह गौंड (18), सुषमा सिंह गौंड (15), सोनफूली सिंह, मनरूप सिंह (60), रामरती सिंह (50), नैना सिंह (55) और आशा सिंह (8) घायल हो गए. इनमें कुछ लोग मौके पर ही बेहोश हो गए थे. घटना की जानकारी मिलते ही कुंदवार चौकी पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची. पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से घायलों को संभाला और 108 एंबुलेंस के जरिए देवसर अस्पताल भेजा. चिकित्सकों द्वारा सभी का उपचार किया जा रहा है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार घायलों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है.

हादसे के बाद गांव में बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए. परिजनों में भी चिंता का माहौल रहा. राहत एवं बचाव कार्य में चौकी प्रभारी के नेतृत्व में प्रधान आरक्षक बंशलाल प्रजापति, प्रधान आरक्षक विनय दोहरे, आरक्षक लोकेंद्र और डायल-112 के प्रधान आरक्षक जितेंद्र अहिरवार की भूमिका रही.

सौगात | जबलपुर में मप्र की पहली टॉक्सिकोलॉजी लैब शुरू

अब शिकारियों के बचने के रास्ते हुए बंद

विवेक दुबे

जबलपुर, 16 सितंबर. वन्यजीवों को जहर देकर शिकार करने के मामलों में अब आरोपियों के खिलाफ वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाना आसान होगा. जबलपुर स्थित नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के पशु औषधि एवं विष विज्ञान विभाग में एडवांस्ड डायग्नोस्टिक टॉक्सिकोलॉजिकल लैबोरेटरी शुरू की गई है.

विश्वविद्यालय के अनुसार यह मध्यप्रदेश में पशुओं के लिए स्थापित पहली टॉक्सिकोलॉजी

लैब है. यहां पांच प्रोफेसरों ने जांच का काम शुरू कर दिया है.

लैब में पशु और वन्यजीवों की संदिग्ध मौत के मामलों में विसरा, चारा, पानी और अन्य जैविक नमूनों की जांच की जाएगी. कीटनाशक, भारी धातु और अन्य विषैले पदार्थों की मौजूदगी का भी पता लगाया जा सकेगा. जांच रिपोर्ट को वन विभाग और पुलिस द्वारा न्यायालयीन मामलों में वैज्ञानिक साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा.

2.55 करोड़ रुपए की लागत से तैयार

लैब के प्रोफेसर श्यामातंक मणि त्रिपाठी ने बताया कि मंडी परियोजना के तहत लैब 2 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत से तैयार की गई है. इसमें भवन निर्माण के लिए 50 लाख, अत्याधुनिक उपकरणों के लिए 1 करोड़ 92 लाख और संचालन कार्यों के लिए 13 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है.

अब तक दूसरे राज्यों में भेजते थे नमूने

अब तक वन्यजीवों या पशुओं की संदिग्ध मौत के मामलों में जहर की पुष्टि के लिए नमूने दूसरे राज्यों की प्रयोगशालाओं में भेजने पड़ते थे. इससे रिपोर्ट मिलने में कई बार लंबा समय लगता था और वन विभाग को न्यायालय में समय पर वैज्ञानिक साक्ष्य प्रस्तुत करने में परेशानी होती थी. नई लैब शुरू होने से नमूनों की जांच प्रदेश में ही होगी और रिपोर्ट जल्द मिलने की उम्मीद है.